	(2) उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक माँग की सूचना निर्धारित अनुसार दिया जाना होगा । (3) यदि जिस राशि के लिए माँग सूचना भेजी गई हो उसे इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर अदा नहीं किया गया तो ग्राम परिषद निर्धारित तरीके से वसूली के लिए सहायक आयुक्त को आवेदन कर सकते हैं ।	
	41. प्रत्येक ग्राम परिषद अपने प्राप्ति और व्यय का लेखा निर्धारित तरीके से रखेगा ।	लेखा
	42. (1) प्रत्येक ग्राम परिषद ऐसे समय में और ऐसे तरीके से जैसा की निर्धारित किया गया है, प्रत्येक वर्ष इसके अनुमानित प्राप्ति का बजट और अगले वर्ष के लिए संवितरण तथा द्वीप परिषद के लिए बजट प्रस्तुत करेगा जो ग्राम परिषद का क्षेत्र द्वीप परिषद के क्षेत्राधिकार के भीतर आता है । (2) द्वीप परिषद तीस दिनों के भीतर या तो बजट अनुमोदित करेगा अथवा इसे ग्राम परिषद को परिवर्तन का निदेश देते हुए वापस करेगा। (3) यदि उप धारा (2) के अन्तर्गत कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो बजट को 15 दिनों के भीतर द्वीप परिषद को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। (4) जब तक द्वीप परिषद द्वारा बजट अनुमोदित नहीं किया जाता तब तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा । बशर्ते कि यदि द्वीप परिषद बजट प्रस्तुत करने अथवा पुनः प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अनुमोदन देने में असफल हो जाता है तो बजट को अनुमोदित माना जाएगा ।	
	43. (1) निर्धारित अनुसार प्रत्येक ग्राम परिषद का लेखे का वार्षिक लेखा परीक्षण किया जाएगा । (2) निर्धारित तरीके से वार्षिक लेखा परीक्षा किया जाता है, यह सुनिश्चित करना सहायक आयुक्त की जिम्मेदारी होगी । (3) सहायक आयुक्त लेखा परीक्षा पूरा होने के एक माह के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियाँ उपायुकत और ग्राम परिषद को अग्रेषित करेगी । (4) सहायक आयुक्त रिपोर्ट पर विचार करने और जैसा वे अनिवार्य समझे फिर से जाँच करने के बाद किसी भी मद को जो उन्हें नियमों और विनियमों और अधिभार के तहत् 'प्रतिकूल प्रतीत होता है ; उसकी अनुमति नहीं देंगे । इसी प्रकार जो व्यक्ति गैर कानूनी भुगतान करता है अथवा प्राधिकृत करता है उसे –	